न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 3/2020

उनवान मुकदमा

1. श्रीमती मन्जुला पत्नी श्री फुलचन्द, जाति भील उम्र वयस्क निवासी ग्राम राठडीया पाडा, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती कल्पना पत्नी श्री गटुलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी ग्राम आसन तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री देवीसिंह झाला आत्मज श्री इन्दुसिंह झाला, उम्र वयस्क, जाति राजपुत निवासी जानामेडी, न्यू लुक स्कुल के पास तहसील व जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
2. श्री हेमेन्द्रसिंह झाला आत्मज श्री देवीसिंह झाला उम्र वयस्क जाति राजपुत निवासी जानामेडी न्यू लुक स्कुल के पास तहसील व जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

—अप्राथीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

प्राथीगण वकील : श्री दिनेशपुरी, श्री भगवतपुरी

अप्रार्थीगण संख्या श्री नरेन्द्र सिंह झूला, श्री मकेश द्विवेदी

आदेश

दिनांक :—17—08—2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2020 को पेश किया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183 बी, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण श्रीमती मंजुला व श्रीमती कल्पना के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 204 नया 187 पुराना के खसरा नम्बर 248 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 636/268 रकबा 2 बिस्वा, कुल खेत 2 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम जानामेडी पटवार क्षेत्र लोधा भू—अभिलेख निरीक्षक ठिकरिया तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिस भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है।

प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा यह जानते हुए कि, उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण की है तथा प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य है। जानबुझकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि को हडपने के आपराधिक उद्धेश्य की पूर्ति में प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अविधिपूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया है।

उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। लेकिन अप्रार्थीगा अपने बाहुबल के आधार पर येनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर हडप कर जाना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कृषि कार्य में बाधा व व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। इस कारण अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि से बेदखल किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण भिन्न गांव के निवासी होने से प्रार्थीगण की अनुपस्थिति का लाभ उठा कर दो माह पूर्व जब प्रार्थीगण फसल बुआई हेतु अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर गये तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर फसल बुवाई कर रहे थ, तब खेत की मेड तोड दी व उसके खेत में प्रार्थीगण के खेत मिला दिये तब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि स्वयं की होना तथा कब्जा खाली करने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि को खाली करने से स्पष्ट मना कर दिया तथा बाहुबल के आधार पर प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थीगण के साथ मारपीट भी की। इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रार्थीगण के प्रश्नगत कृषि भूमि पर शान्तिपूर्ण कृषि कार्य में बाधा व व्यवधान उत्पन्न करने से रोका जाना आवश्यक है।

प्रश्नगत कृषि भूमि मूल खातेदार श्री हिरा की मृत्यू के पश्चात उसकी पत्नी श्रीमती रतन बेवा के नाम विरासत दर्ज हुई है। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत कृषि भूमि खातेदार श्रीमती रतन बेवा भील से क्रय की थी। श्रीमती रतन बेवा भील की कराब 12 बीघा भूमि जो प्रार्थीगण की भूमि से लगती हुई है। जिस पर अप्रार्थीगण ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। श्रीमती रतन बेवा भील वयोवृद्ध महिला होने से अप्रार्थीगण का प्रतिकार करने में सक्षम नही होने के कारण अप्रार्थीगण के निर्भिक उद्धण्ड व्यवहार के कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की प्रश्नगत कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण के निजी खातेदारी व आधिपत्य की है तथा प्रार्थीगण का शान्तिपूर्ण आधिपत्य है। प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने की नियत से प्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने की नियत से लगातार प्रार्थीगण के कृषि कार्य में बाधा व व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। इस कारण अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है। सुविधाओं का संतुलन प्राथीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा नही रोका गया तो प्रार्थीगण को नापूर्ति क्षति होगी जिससे कार्यवाहीयों की बाहुल्यता बढेगी।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 को उक्त वर्णित कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा व व्यवधान उत्पन्न करने से अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जावे तथा अन्य अनुतोष जो न्यायहित में आवश्यक हो प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण से दिलाया जावे।

फर्द दस्तावेज में जमाबन्दी संवत 2070 से 73 की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत है।

दिनांक 08.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। जिसमें बताया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 इस हद तक कि प्रार्थी ने आप न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 183 बी, 188, 209 आरटीए में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर कभी भी स्वामित्व नही रहा है न प्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य किया है। न ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। तथा खाता सं. 204 नया 187 पुराना के खसरा सं. 248 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा खसरा संख्या 636/268 रकबा 2 बिस्वा कुल खेत 2 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम जानामेडी पटवार क्षैत्र लोधा भू अभिलेख निरीक्षक ठिकरिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) पर किसी प्रकार का हक हित व हिस्सा एवं न प्रार्थीगण की कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण के साथ कोई लड़ाई झगडा नही किया गया है। मात्र वाद प्रस्तुत करने के लिए झूठे तथ्यों को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया है। जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मनगढन्त व मिथ्या व झूठा होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण झूठे आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपने अनुसूचित जाति होने का दबाव बनाकर अप्रार्थीगण पर झूठे आरोप लगाये है। तथा इन्ही झुठे आधारों पर प्रार्थीगण आप न्यायायालय से डिगरी प्राप्त करना चाहता है। जबकि प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा भी नही रहा है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को एट्रोसीटी एक्ट में फसाने का दबाव बनाकर मूल मालिक से जमीन हतियाना चाहते है। जबकि अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण व मूल मालिक से कोई लेना देना नही है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से अनुतोष दिलाया जावे।

दिनांक 14.07.2021 को विद्वान अभिभाषक गणों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश पुरी, श्री भगवतपुरी ने अपने कथन में बताया कि उक्त प्रश्नगत भूमि के खातेदार व कब्जा काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्त श्री नरेन्द्र सिंह झूला ने अपने कथन में बताया कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी स्वामित्व नही रहा। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा कभी नही रहा है। किसी प्रकार का लडाई झगड़ा नही कर रहे है। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति को होने से झूठे आरोप लगाकर दबाव बनाकर न्यायालय से डिक्री प्राप्त करना चाहता है। हमने मूल वाद भी आप माननीय न्यायालय में पेश कर रखा है। जिसमें पूर्ण सफलता मिलने की संभावना है। अतः साक्ष्यों के आधार पर मूल वाद में निस्तारण किया जाने निवेदन है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकाड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने आदेश फरमावे।

पुनः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकाड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने आदेश फरमाने अपनी सहमति प्रदान की गई।

उक्त पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर गहन मनन किया। तो पाया कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने दोनो ने अपना अपना कब्जा होना जाहिर किया । ऐसी स्थिति में मैं मेरिट एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णय देना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की विवादग्रस्त भूमि पर मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्राथी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17–08–2021 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा